

# हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

संख्या:वि0स0-विधायन-संकल्प/1-29/2013

प्रेषक :

सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

प्रेषित:

मुख्य सचिव,  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
शिमला-171002.  
दिनांक, शिमला-171004, 2-03-2017

विषय:

वीरवार, 9 मार्च, 2017 को विचारार्थ लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य कार्य संकल्प।

महोदय,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 में निहित अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों के निदेश सं0-6 के अन्तर्गत मुझे आपको बुलेटिन भाग-2 संख्या: 437 की 20 प्रतियां आपकी सूचना एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,  
(सुन्दर सिंह वर्मा)  
सचिव,  
हि0प्र0 विधान सभा।

संलग्न: यथोपरि: दिनांक, शिमला-171004, 2-03-2017  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 171002.
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 171002.
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 171002.
4. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
5. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0 सरकार, शिमला-171002
6. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0प्र0 सरकार, शिमला-171002.
8. ओ0एस0डी0 एवं सचिव, माननीय अध्यक्ष, विशेष निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004.
9. समस्त निजी सचिव, मन्त्री परिषद्/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला 171002. को उपरोक्त बुलेटिन भाग-2. सं0: 437 की एक प्रति सहित।

सचिव,  
हि0प्र0 विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना )

वीरवार, 2 मार्च, 2017/ 11 फाल्गुन, 1938(शक् )

गैर सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

चौदहवां सत्र

संख्या:437

वीरवार, दिनांक 9 मार्च, 2017, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प जिनकी शलाका (Ballot) दिनांक 1-3-2017 को हुई, का परिणाम:-

क्र० स०	सदस्य का नाम	उद्धरण
1	श्री इन्द्र सिंह:	“ यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए।”
2	श्री महेश्वर सिंह	“ यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिलवाया जाए और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित की जाए।”
3	डॉ० राजीव बिन्दल	“ यह सदन सरकार से मांग करता है कि सरकारी, अर्धसरकारी, बोर्ड-निगमों एवं नगर पालिकाओं में पार्ट टाइप, आउट सोर्सिंग, एस०एम०सी०, पी०टी०ए० व सोसाईटी के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती बंद करके शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा के आधार पर केवल कर्मचारी चयन आयोग से सीधी भर्ती करने हेतु नीति बनाये।”
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो कि दिनांक 22-12-2016 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, पर आगे चर्चा होगी।		
	श्री रविन्द्र सिंह	“यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि " खुदरो दरखतान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए।”

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*